राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2362/2023

रामकेश मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिकम शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2023
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—III लेवल—II (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जय श्री, ब्लॉक नगर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.03.2023 (अनुलग्नक—1) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 18.09.2018 के द्वारा 6डी के तहत समायोजन किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.09.2018 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान निवास स्थान से 120 कि. मी. दूरी पर है, जिसकी वजह से अपीलार्थी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी के वृद्ध माता—पिता है, जिनकी जिम्मेदारी स्वयं अपीलार्थी पर है। अतः अपीलार्थी का ब्लॉक भुसावर, भरतपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाधुरैन एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हिंगोटा, ब्लॉक भुसावर में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजित किए जाने का अनुरोध किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई

कार्यवाही नहीं की। अतः अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष निवेदन किया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन भुसावर ब्लॉक में कहीं भी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, सामाजिक विज्ञान के रिक्त पद पर तथा अभ्यावेदन दिनांक 20.03.2023 (अनुलग्नक–1) पर विचार करते हुए पदस्थापन का निर्णय किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष लम्बित अभ्यावेदन का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य